

डिक्री व मुकदमें ईव्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 456/2025

1. हरदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति सुथार साकिन नगराना तहसील संगरियां
2. मनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति सुथार साकिन नगराना तहसील संगरियां

वादी

बनाम

1. जोरासिंह पुत्र जंगसिंह जाति सुथार साकिन नगराना तहसील संगरियां
2. जसकरण सिंह पुत्र जोरा सिंह जाति सुथार साकिन नगराना तहसील संगरिया।
3. कमलजीतकौर पुत्री जोरासिंह पत्नी सुरजीतसिंह जाति सुथार सा.कोटभाई तह. गिदडवाह
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री जे.के.बाथम वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 14 एसबीएन के खाता संख्या 45/27 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 जोरा सिंह पुत्र जंग सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज........ नल........ मुब्लिक........ निल........ बाबत........ निल........ खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........
अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...18.9.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया